संख्या- 122/2015/191/22-4-14-48(16)/11

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 05 जून, 2015

विषय- जिला कारागार, गाजीपुर की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3892/नम-2, दिनांक- 06 फरवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजीपुर की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-427/22-4-2011-48(16)/11, दिनांक 28.02.2011 द्वारा रू0 441.93 लाख की लागत पर प्रदान की गयी थी। सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 7,32,32,000/-(रूपया सात करोड़ बत्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) पुनरीक्षित आगणन में लागत का आंकलन प्रस्तावित कार्यों एवं मात्राओं के अनुसार किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(4) पुनरीक्षित आगणन का परीक्षण प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेख्नीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना , प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्वि एंव अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों को कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्रांइग बनाते समय परियोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(10) चालू कार्य के रूप में स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(11) भविष्य में पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(12) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को नियमानुसार किया जायेगा।

2- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन से सम्बन्धित मूल्यांकन टिप्पणी की छायाप्रति संलग्न है।

3- पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति विवरण शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि परियोजना की अवशेष धनराशि स्वीकृत की जा सके।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निमार्ण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय -80-सामान्य-051-निर्माण-03-कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्वार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक में उपलब्ध बजट से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-748/दस-2015, दिनांक-29 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 122/2015/191(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबंध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम,लि0 लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, गाजीपुर।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।